(207)

संख्या– 803 /XV-1/1(5)/2011

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 27 जुलाई, 2011

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू याजनाओं में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1171/नि–5/एक(19)/आय–व्यय/2011–12 दिनांक 08.07.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर की निम्न चालू योजनाओं में द्वितीय त्रैमास हेतु निम्न विवरणानुसार **₹ 96.95 लाख (₹ छियानवै लाख पिचानवै हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार ₹ में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आवंटित धनराशि
(01)–मुख्य लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत –00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थय	
08–पशु चिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा (राज्य सैक्टर योजना)	
42–अन्य व्यय	300
09–पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	
01–वेतन	581
03–मंहगाई भत्ता	360
08–कार्यालय व्यय	51
09–विद्युत देयक	13
11–लेखन सामाग्री और फार्मो की छपाई	25
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	94
17–किराया उपशुल्क कर और कर स्वामित्व	13
26–मशीन साज सज्जा/उपकरण औ संयत्र	70
39–औषधि तथा रसायन	100
42–अन्य व्यय	26
योग–	1333
(02)–मुख्य लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत –00–102–पशु और भैंस विकास	
06–पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डेरी यूनिट की स्थापना	
42–अन्य व्यय	37
07–कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति बछिया को पुरस्कृत करने की योजना	
42–अन्य व्यय	500
(03)–मुख्य लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत –00–106–अन्य पशुधन विकास	
06–पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजना	
42–अन्य व्यय	25

(04)–मुख्य लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत –00–107–चारा और चारागाह विकास	
04–चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना	
42–अन्य व्यय	
महायोग–	7500
	9695

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फाँट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षकों के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 209/XXVII(1)/2011 दिनांक–31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या– 803 (1)/XV-1/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एंव आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड/परियोजना निदेशक, पशुलोक। (निदेशक के द्वारा)
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून को वैवसाईट में अंकन किये जाने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव